राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या--1179/06

बलराम बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:20.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री हिम्मत सिंह बीकरवाल, अधिवक्ता अभियुक्त-निगरानीकर्ता की ओर से

श्री आर पी कुलदीप , विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

अभियुक्त- निगरानी कर्ता बलराम की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 397 सपठित धारा 401जाप्ता फौजदारी में विद्वान अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) संख्या-2 , भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या- 34/2006 में आरोप विरचित किये जाने के आदेश दिनांक 20.9.2006 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके अन्तर्गत अभियुक्त- निगरानीकर्ता के विरूद्ध अन्य आरोपों के अतिरिक्त धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- निगरानी कर्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा अन्वेषण पत्रावली एवं निगरानी याचिका का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-निगरानीकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन कहानी के अनुसार धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। नाकाबंदी कर वाहन की चैकिंग कर रहे अरूण कुमार, बलराम व सुरेन्द्र के एक-एक चोटें एब्रेजन व ब्रुज के रूप में साधारण प्रकृति की आना पायी गयी है। यदि अभियुक्त-निगरानीकर्ता का आशय उनकी हत्या कारित करने का होता तो कोई कारण नहीं था कि वाहन से सीधे उनके शरीर पर गम्भीर प्रकृति की चोटें आती जबकि चोटों की प्रकृति से यह स्पष्ट है कि वाहन ने तो उनके शरीर को छूआ तक नहीं था।

विद्वान लोक अभियोजक ने विवादित आदेश को उचित ठहराया है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर वाहनों की चैंकिंग हेतु नाकाबंदी करते समय सफेद रंग की जीप यू.पी. 9177 को जब रोकने का प्रयास किया गया तो जीप चालक ने उसको रोका नहीं तथा इयूटी पर तैनात परिवादी तथा अन्य पुलिस कर्मियों के ऊपर उसको चढ़ाने का प्रयास किया तथा पीछा करने पर जीप को रोककर जप्त किया गया। इस मामले में हत्या का प्रयास करने का आरोप विरचित किये जाने को आहतगण की चोटों की रोशनी में देखा जाना होगा , जिसमें अरूण कुमार के एक चोट नीलगू की दाहिने पैर पर आना पायी गयी है व दूसरी चोट दर्द की शिकायत के रूप में आयी है इसी तरह बलराम के भी एक चोट नीलगू के रूप में व सुरेन्द्र के एक चोट ब्रुज के रूप में व दूसरी दर्द की शिकातय के रूप में साधारण प्रकृति की आना बतायी गयी है।

चोटों की प्रकृति को इस मामले में आयी साक्ष्य की रोशनी में देखने से हमारे मत में यह मामला धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का प्रथम दृष्टया बनना परिलक्षित नहीं हो रहा है तथा शेष विरचित किये गये आरोप के संदर्भ में हमारे समक्ष कोई तर्क भी नहीं दिये गये हैं।

अत: उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) संख्या-2, भरतपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.9.2006 को अभियुक्त-निगरानीकर्ता बलराम के विरूद्ध विरचित किया गया आरोप अन्तर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता की सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

(**न्या0 जितेन्द्र राय गोयल**)